न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/235

मुकदमा नम्बर 56/2025 दर्ज दिनांक– 07.05.2025

पूर्णमल वर्मा पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी रामूराम की ढाणी कोट तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय द्वारा प्रस्तुत

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 14.05.2025

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम किरोडी के भूमि खाता सं. 3 के अन्तर्गत खसरा नं. 702 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 706 रकबा 0.66 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर के स्थान पर पूर्णमल वर्मा पुत्र शंकरलाल दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/ 7766 दिनांक 14.05.2025 पेश की गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम किरोडी के भूमि खाता सं. 3 के अन्तर्गत खसरा नं. 702 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 706 रकबा 0.66 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.89 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम पूर्णा पुत्र शंकर के स्थान पर पूर्णमल वर्मा पुत्र शंकरलाल दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/ 7766 दिनांक 14.05.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, 'खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक /भू अ /2025/7766

दिनांक 14/5/2025

प्रेषिति : – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : –उनवानी प्रकरण पूर्णमल बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 56/2024 अ.धारा 136 में तथ्यात्मक रिपॉर्ट भिजवाने बाबत।

Rev.
14-5-25

प्रसंग : –श्रीमान के आदेश क्रमांक राजस्व / तहरीर/25/271 दिनांक 07.05.2025 की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण पूर्णमल बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 56/2024 अ.धार 136 में तथ्यात्मक रिपॉर्ट पटवारी हल्का टोडपुरा से प्राप्त हुई है । जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू. अ.)नवलगढ

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ

संलग्न : – मूल रिपॉर्ट

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार साहब
नवलगढ़

13/5/25

विषय:- उनवानी प्रकरण पूर्णमल वर्मा बनाम तहसीलदार मु० नं० 56/2025 में तथ्यात्मक रिपोर्ट/ जवाब भिजवाने के बाबत

प्रसंग:- श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक 7570 दिनांक 09/05/25 की पालनार्थ में

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी पूरणमल वर्मा पुत्र शंकरलाल जाति बलाई निवासी द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दुरस्ती बाबत - 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया है। जिसकी रिकार्ड की जांच हेतु मजमेआम में जाकर जांच की गई जो निम्न प्रकार रही :-

राजस्व ग्राम किरोड़ी की जमाबन्दी सवत 2075-78 के खाता न० 3 की व खसरा न० 702, 706 में पूर्णा पुत्र शंकर जाति मेघवंशी हिस्सा 1/5 सा० देह खातेदार में नाम दर्ज रिकार्ड है।

मौके पर प्रार्थी व सह खातेदार से दस्तावेज की जांच की जो आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड आदि उपलब्ध करवाये जिसमें प्रार्थी का नाम पूरणमल पुत्र शंकरलाल दर्ज है।

मौके पर उपलब्ध दस्तावेज व मौजूद मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही नाम पूर्णमल पुत्र शंकरलाल है। अत: प्रस्तुत दस्तावेजों व मौजूद मौतबिरान से ली गई जानकारी के अनुसार राजस्व ग्राम किरोड़ी प०क० टोड़पुरा के ख०नं० 702, 706 जमाबन्दी के खाता न० (3) में पूर्णा पुत्र शंकर के स्थान पर पूरणमल पुत्र शंकरलाल किया जाना उचित है।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर पेश है।

(हस्ताक्षर)
प०क० टोड़पुरा